राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 114 / 2020

1. जुगलकिशोर पुत्र मातुराम
2. सुभाष पुत्र मातुराम
3. जमाना पुत्री मातुराम
4. विमला पुत्री मातुराम
5. परमेश्वरी पुत्री मातुराम
6. पांची पुत्री मातुराम
7. धन्नी पुत्र मातुराम
8. पाना पुत्री मातुराम

जाति खटीक, निवासीगण जसरापुर, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 283 में प्रार्थीगण के पिता मनभर के स्थान मातुराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 283 ग्राम जसरापुर पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 283 में प्रार्थीगण के पिता मनभर के स्थान मातुराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। [illegible] उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 283 में प्रार्थीगण के पिता मनभर के स्थान मातुराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:40 IST
Reason: SelfAttested